न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 70/2014(जी.सी.एम.एस.2014/00104)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजपाल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरतेज सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. जसवीर सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. सुखपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 6. गुरजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. जरनैल सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 8. ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

तारीख रजू:- 15.07.2014

उपस्थितः 1. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय-- दिनांक :26.03.2025

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 दीगर सहखातेदारान के साथ 2.662 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि वादी को अपने पूर्वज करतार सिंह के माध्यम से विरास्तन प्राप्त हुई है। वादी के पूर्वज करतार सिंह व उनके समकालिक हिस्सेदारों ने काश्त सहूलियत के लिए उक्त खाता की भूमि का वाहमी विभाजन कर लिया था। वादी के पिता करतार सिंह को वाहमी विभाजन अनुसार में मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 14 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 21 ता 24 प्रत्येक 15 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। वादी को जब जमाबन्दी की आवश्यकता हुई तो वादी ने उक्त खाता की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पाया कि वादी के कब्जा एंव हिस्सा की भूमि में किला नम्बर 5, 6 वादी के खाता में अंकन ही नहीं किया गया है। इस बाबत वादी ने तहसीलदार श्रीकरणपुर के पास उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन करवाकर निवेदन किया कि वादी के खाता में उक्त रकबा सहवन से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने से रह गया, जो दुरूस्त कर इसका अंकन अभिलेख में कर देवें। परन्तु तहसीलदार श्रीकरणपुर ने कहा कि त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। यही वाद कारण है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम-सालम, के उपरान्त किला नम्बर 5, 6 प्रत्येक सालम-सालम अंकित कर शेष खाता बदस्तुर रखें। अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी के हक में दिलाया जावे।

2- वाद पत्र पेश होने पर प्रकरण 07/2007 पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार राज उपस्थित आया। जवाब स्टेट पेश किया। जवाब स्टेट में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वाद विन्दू कायम नहीं किये गये। प्रकरण में साक्ष्यवादी ली जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.09.2008 द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एन के खाता संख्या 10/12 के द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के मुरब्बा नम्बर 16 में दर्ज किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम के उपरान्त किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक सालम-सालम अंकित कर शेष खाता बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते तथा इसी अनुसार डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3- न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.09.2008 के विरूद्व कुलदीप सिंह, गुरतेज सिंह, जसवीर सिंह, सुखपाल सिंह, गुरजीत सिंह, जरनैल सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में कुल 6 अपीले प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.06.2014 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.09.2008 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि सभी पक्षकारान को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

4- प्रकरण न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के समस्त पक्षकारान को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि मानते हुए आबादी भूमि के पट्टे जारी किये हुए है। उस पर कभी काश्त नहीं हुई है। वादी को करतार सिंह के जीवनकाल से ही मालूम था कि किला नम्बर 5, 6 को आबादी भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आबादी के पट्टे जारी कर दिये गये थे और वादी द्वारा किला नम्बर 5, 6 में न तो कभी काश्त की थी और न कर रहा है। मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 में आबादी भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके है, वादी को उन्हें खारिज करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 की त्रुटि कहा किस वर्ष हुई उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और ना ही उसके द्वारा उक्त आराजी के कब्जा काश्त का कोई दस्तावेज पेश किया गया है। इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है।

5- हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 के मुरब्बा नम्बर 16 में दर्ज किला नम्बर 1, 2, 3, 4 के बाद किला नम्बर 5, 6 दर्ज करवाने के हकदार है?
-जिम्मे वादी-

(ii) आया कि चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 आबादी भूमि है?
-जिम्मे प्रतिवादी-

(iii) आया कि क्या इस वादगत भूमि के साझा खाता के सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है?
-जिम्मे प्रतिवादी-

(iv)आया कि क्या वादपत्र 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जाना चाहिए था। वादपत्र 88 आरटीए में पेश किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं है?
-जिम्मे प्रतिवादी-

(v)अनुतोष।

प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला को बतौर प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में संयोजित किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल के फौत होने पर अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड ने अंडरटेंकिग दी। प्रतिवादी संख्या 2, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में पूर्व में ही साक्ष्यवादी हो चुकी है। इसलिए अब साक्ष्यवादी की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्यप्रतिवादी पेश करने हेतु अवसर दिए गए। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

6- हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i): आया कि क्या वादी चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 के मुरब्बा नम्बर 16 में दर्ज किला नम्बर 1, 2, 3, 4 के बाद किला नम्बर 5, 6 दर्ज करवाने के हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श- 1 राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 की कुल 28.174 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता करतार सिंह के नाम 2.662 हैक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसमें मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 का अंकन नहीं है। परन्तु मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 में मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 का अंकन है। लिहाजा मिसल बन्दोबस्त के बाद जमाबन्दियों में मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 का अंकन सहवन से रह गया है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि चक 1 एन जगतेवाला के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 आबादी भूमि है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं की है। पत्रावली में प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति में यह प्रमाणित किया गया है कि ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला की आबादी भूमि के नक्शे के हिसाब से अहाता संख्या 501 से 512 तक आवादी भूमि है, जो मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 में है। परन्तु यह उक्त भूमि का आबादी विस्तार सम्बन्धी आदेश पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्व होता हो कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 में अंकित मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6 को आबादी में विलय कब व किसके आदेश से किया गया है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या इस वादगत भूमि के साझा खाता के सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं की है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iv) आया कि क्या वादपत्र 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जाना चाहिए था। वादपत्र 88 आरटीए में पेश किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं की है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(v) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 2, 3, 4 विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

7- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम-सालम, के उपरान्त किला नम्बर 5, 6 प्रत्येक सालम-सालम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए** मुकदमा नम्बर **70/2014**

निर्णय दिनांक :-26.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता पलविन्द्र सिंह के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 10/12 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम-सालम, के उपरान्त किला नम्बर 5, 6 प्रत्येक सालम-सालम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 28/03/25

क्रमांकः रीडर/ 2025/197

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)